न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 116 / 2022(2022 / 403)

महावीर सिह पुत्र श्री मदनलाल जाति रावणा राजपूत दरोगा निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

श्रीमान तहसीलदार महोदय, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

-

ील :– श्री पवन सिंह भाटी

सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 7.9.2022

ावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **नखण्ड तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2072–76** में दर्ज मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
253–275	2155 2157 2163 2165 2166	0.10 0.70 0.27 0.46 1.50	गै.मु.रास्ता बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
	कुल किता 5	कुल रकबा 3.03	

त आराजीयात प्रार्थि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी के नाम खातेदार काश्तकार में दर्ज हैं वर्णित आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगढी नही होने से आये दिन सीमा विवाद व मेड को है व पडोसियों के मध्य विवाद होता रहता है प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी को वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सीमाज्ञान से ा संतुष्ट नही है तथा अप्रार्थीगण ने सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है दिनांक 25.12.2021 को रोक्त वर्णित आराजीयात को हाकने गये तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा फसाद करने लग गये एवं हाकने चौकने नही दिया तथा झगडा फसाद करने लग गये इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आया है। स्थाई पत्थरगढ़ी व सीमा चिन्ह लगाये जाने का आदेश किया जाना न्यायोचित एंव है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढ़ी कराने का अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब टिप्पणी कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित अराजी खातेदारी में दर्ज है प्रभावित नही है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम मानखण्ड तहसील केकडी की जमाबन्दी 72–75 के खाता संख्या नया पुराना 253–275 के खसरा संख्या 2155, 2157, 2163, 2165, 2166 0.10, 0.70, 0.27, 0.46, 1.50हैक्टर रकबा 0.10, 0.70, 0.27, 0.46, 1.50हैक्टर कुल किता 5, कुल 3हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner